

ज़मानती बॉण्ड

प्रलिमिस के लिये:

ज़मानती बॉण्ड, प्रदर्शन बॉण्ड, अग्रमि भुगतान बॉण्ड, बोली बॉण्ड

मेन्स के लिये:

ज़मानती बॉण्ड और बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सङ्क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने **भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण** (IRDAI) को सामान्य बीमाकर्ताओं के परामर्श से ज़मानती बॉण्ड पर एक मॉडल उत्पाद विकास करने के लिये कहा है।

- कई चुनौतीपूरण मुद्दों ने बीमाकर्ताओं के साथ ज़मानती बॉण्ड को पूरी तरह से गैर-स्टार्टर बना दिया है और IRDAI को प्रस्तावित किया गया है कि इसे एक मॉडल उत्पाद तैयार करना चाहिये।
- भारतीय अनुबंध अधनियम के साथ-साथ **दविला और दविलयापन संहति (IBC)** में प्रविरतन के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला गया ताकि डिफिलट के मामले में उनके लिये उपलब्ध सबूतों के संदर्भ में ज़मानती बॉण्ड बैंक गारंटी के समान स्तर पर हों, इस पर भी विचार किया जा रहा है।

ज़मानती बॉण्ड:

परचियः


- कसी अधनियम के अनुपालन, भुगतान या प्रदर्शन की गारंटी के लिये एक लिखित समझौते के रूप में एक ज़मानती बॉण्ड को अपने सरल रूप में प्रभागति किया जा सकता है।
- यह एक अद्वतीयक प्रकार का बीमा है क्योंकि इसमें तीन-पक्षीय समझौता शामिल है। एक ज़मानत समझौते में तीन पक्ष होते हैं:
 - मुख्य पक्ष-** वह पक्ष जो बॉण्ड खरीदता है और वादे के अनुसार कार्य करने का दायतिव लेता है।
 - ज़मानत पक्ष-** दायतिव की गारंटी देने वाली बीमा कंपनी या ज़मानत कंपनी का प्रदर्शन किया जाएगा। यदि मुख्य पक्ष वादे के अनुसार कार्य करने में वफ़िल रहता है, तो ज़मानत पक्ष निरित नुकसान के लिये संविदात्मक रूप से उत्तरदायी है।
- ओबलर्गी-** जिस पार्टी की आवश्यकता होती है वह प्रायः ज़मानती बॉण्ड से लाभ प्राप्त करता है। अधिकांश ज़मानती बॉण्ड के लिये 'ओबलर्गी' एक स्थानीय, राज्य या संघीय सरकारी संगठन होता है।
- बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदार की ओर से उस संस्था को ज़मानती बॉण्ड प्रदान किया जाता है जो परयोजना शुरू कर रही है।

उद्देश्यः

- ज़मानती बॉण्ड मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित है, यह आपूरतकिरताओं और कार्य-ठेकेदारों के लिये अप्रत्यक्ष लागत को कम करने हेतु उनके विकल्पों में विविधता लाने व बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में कार्य करता है।

लाभः

- ज़मानती बॉण्ड लाभार्थी को उन कृत्यों या घटनाओं से बचाता है जो मुख्य पक्ष को अंतर्नहित दायतिवों से वंचित करते हैं।
- वे नरिमाण या सेवा अनुबंधों से लेकर लाइसेंसिंग और वाणिज्यिक उपकरणों तक विभिन्न दायतिवों के प्रदर्शन की गारंटी देते हैं।



ज़मानती बॉन्ड से संबंधित मुद्दे:

- एक नई अवधारणा के रूप में ज़मानती बॉन्ड काफी जोखिमि भरा हो सकता है और भारत में बीमा कंपनियों को अभी तक ऐसे व्यवसाय में जोखिमि मूल्यांकन में वशिष्यज्ञता हासल नहीं हुई है।
- इसके अलावा मूल्य निर्धारण, डफिलेटगि ठेकेदारों के विद्युत उपलब्ध सहायता और पुनर्बीमा वकिलपों पर कोई स्पष्टता नहीं है।
 - ये काफी महत्वपूर्ण विषय हैं और ज़मानत से संबंधित वशिष्यज्ञता एवं क्रमताओं के नियमान में बाधा डाल सकते हैं तथा अंततः बीमाकर्त्ताओं को इस व्यवसाय में प्रवेश करने से रोक सकते हैं।

अवसंरचना परियोजनाओं को कसि प्रकार बढ़ावा देगा?

- ज़मानती अनुबंधों के लिये नियम बनाने के कदम से बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र को अधिक तरलता और वित्तिपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- यह बड़े, मध्यम एवं छोटे ठेकेदारों के लिये समान अवसर प्रदान करेगा।
- ज़मानती बीमा व्यवसाय, नियमान परियोजनाओं के लिये बैंक गारंटी के वकिलप को वकिलप करने में सहायता करेगा।
 - यह कार्यशील पूँजी के कुशल उपयोग को सक्षम करेगा और नियमान कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली संपादकी की आवश्यकता को कम करेगा।
- जोखिमि संबंधी जानकारी साझा करने हेतु बीमाकर्त्ता वित्तीय संस्थानों के साथ मलिकर काम करेंगे।
 - इसलिये यह जोखिमि पहलुओं पर समझौता कर्य बना बुनियादी अवसंरचना के क्षेत्र में तरलता लाने में सहायता करेगा।

ज़मानती बॉन्ड पर IRDAI दशा-नियंत्रण

- नए दशा-नियंत्रणों के अनुसार, बीमा कंपनियाँ अब बहुप्रतीक्षित ज़मानती बॉन्ड लॉन्च कर सकती हैं।
- IRDAI ने कहा है कि एक वित्तीय वर्ष में सभी नियंत्रित बीमा खालिसियों के लिये लिया गया प्रीमियम, उन नीतियों हेतु बात के वर्षों में सभी कशियों सहति उस वर्ष के कुल सकल लिखित प्रीमियम के 10% से अधिक नहीं होना चाहिये, जो कि अधिकतम 500 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन है।
- भारतीय बीमा नियमक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)** के अनुसार, बीमाकर्त्ता ज़मानती बॉन्ड जारी कर सकते हैं, जो सावधानकि संस्था, डेवलपर्स, उप-अनुबंधकर्त्ताओं और आपूर्तिकर्त्ताओं को आशवासन देते हैं कि ठेकेदार परियोजना शुरू करते समय अपने संविदितमक दायतिव को पूरा करेगा।
 - अनुबंध बॉन्ड में बोली बॉन्ड, प्रदर्शन बॉन्ड, अग्रमि भुगतान बॉन्ड और प्रतिधारण राशि शामलि हो सकती है।**
 - बोली बॉन्ड:** यह एक उपकृत को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है यदि बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेजों के अनुसार एक अनुबंध से सम्मानित कर्य जाता है, लेकनि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में वफिल रहता है।
 - प्रदर्शन बॉन्ड:** यह आशवासन प्रदान करता है कि यदि उपकृतकर्ता प्रसिपिल या ठेकेदार अनुबंध को पूरा करने में वफिल रहता है तो उपकृत की रक्षा की जाएगी। यदि उपकृतकर्ता प्रसिपिल या ठेकेदार को डफिलेट घोषित करता है और अनुबंध को समाप्त कर देता है, तो यह ज़मानत प्रदाता को बॉन्ड के तहत ज़मानत के दायतिवों को पूरा करने के लिये कह सकता है।
 - अग्रमि भुगतान बॉन्ड:** यदि ठेकेदार विनियोजनों के अनुसार, अनुबंध को पूरा करने में या अनुबंध के दायरे का पालन करने में वफिल रहता है, तो यह ज़मानत प्रदाता द्वारा अग्रमि भुगतान की बकाया राशि का भुगतान करने का वायदा है।
 - प्रतिधारण राशि:** यह ठेकेदार को देय राशि का एक हस्तिसा है, जसि अनुबंध के सफल समापन के बाद अंत में बनाए रखा जाता है और

देय होता है।

- गारंटी की सीमा अनुबंध मूल्य के 30% से अधिक नहीं होनी चाहयि।
- जमानत बीमा अनुबंध केवल वशिष्ट परयोजनाओं के लयि जारी कयि जाने चाहयि और कई परयोजनाओं के लयि संयोजनी नहीं कयि जाने चाहयि।

वगित वर्ष के प्रश्न

प्र. कभी-कभी समाचारों में देखे जाने वाले 'आईएफसी मसाला बॉण्ड' के संदर्भ में, नीचे दयि गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. अंतर्राष्ट्रीय वित्त नगिम, जो इन बॉण्डों की पेशकश करता है, वशिव बैंक की एक शाखा है।
2. वे युए में मूल्यवर्ग के बॉण्ड हैं और सारवजनिक और नजीक वित्तीय ऋण वित्तपोषण का एक स्रोत हैं।

नीचे दयि गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही

उत्तरः(c)

व्याख्या:

- वशिव बैंक समूह जो वकिसशील देशों के लयि वित्तीय और तकनीकी सहायता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, में पाँच वशिष्ट लेकनि पूरक संगठन शामलि हैं, अस्थात,
 - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्नियामन और वकिस बैंक
 - अंतर्राष्ट्रीय वकिस संघ (IDA)
 - अंतर्राष्ट्रीय वित्त नगिम (IFC), अतः कथन 1 सही है।
 - बहुपक्षीय नविश गारंटी एजेंसी (MIGA)
 - नविश विवादों के नपिटारे के लयि अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)
- IFC में सदस्यता केवल वशिव बैंक के सदस्य देशों के लयि खुली है। इसके बोर्ड की स्थापना 1956 में हुई थी।
- IFC का स्वामतित्व 184 सदस्य देशों के पास है, एक समूह जो सामूहिक रूप से नीतियों को नरिधारति करता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और नदिशक मंडल के माध्यम से सदस्य देश IFC के कार्यक्रमों और गतविधियों का मार्गदर्शन करते हैं।
- मसाला बॉण्ड विदेशी बाजारों में भारतीय संस्थाओं द्वारा जारी युपये-नामति उधार हैं। मसाला का अरथ है 'मसाले' और इस शब्द का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय वित्त नगिम (IFC) द्वारा विदेशी प्लेटफार्मों पर भारत की संस्कृति और व्यंजनों को लोकप्रथि बनाने के लयि कया गया था।
- मसाला बॉण्ड का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढाँचा परयोजनाओं को वित्तपोषति करना, उधार के माध्यम से आंतरकि वकिस को बढ़ावा देना और भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है। अतः कथन 2 सही है।

अतः वकिलप (c) सही है।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस